

अंडमान तथा निकोबार राजपत्र
असाधारण अंक

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं.

पोर्ट ब्लेयर

2010

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर,

सं. फा.सं. 1-849/2009 टी.डब्ल्यू - दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग II, खण्ड 1, सं. 56 में प्रकाशित निम्नलिखित विनियम आम जनता की जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है ।

(एम.आर. त्रिवेदी)
सहायक आयुक्त (ज.क.)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2009/पौष 10 1931 (शक)

	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय परिषद) विनियम, 2009 (2009 का सं. 1) भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के निकोबार जिला में जनजातीय परिषद स्थापित करने के लिए निकोबारी अनुसूचित जनजातियों को उनके कार्यों के स्वायत्त सरकारी संस्थाओं के प्रबन्धन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु एक विनियम । भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित विनियमों को प्रख्यापित करते हैं :-	
--	--	--